न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 47/2016 (राजसमन्द डिकी)

श्रीमती शान्तिदेवी उर्फ बाबुदेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्री मोहनलाल जी, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. पुष्पादेवी पत्नी रवि प्रकाश पुत्री मोहनलाल जी, जाति गुरू ब्राहमण, नि. नया बापू नगर समाज कल्याण छात्रावास के पास, पुर रोड़, भीलवाड़ा।
2. मनीष पुत्र रवि प्रकाश जी, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी नया बापू नगर समाज कल्याण छात्रावास के पास, पुर रोड़, भीलवाड़ा (राज.)
3. सुश्री मीनाक्षी पुत्री रवि प्रकाश जी, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी नया बापू नगर समाज कल्याण छात्रावास के पास, पुर रोड़, भीलवाड़ा (राज.)
4. जसवन्तराज पिता कुन्दनमल जी जैन, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. संजय कुमार पिता शान्तिलाल जी जैन, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती गीतादेवी पुत्री मोहनलाल पत्नी भंवरलाल (मृतका) के बजाय :–

6/1.भंवरलाल पिता मांगीलाल, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी गली नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

6/2.बसन्त कुमार उर्फ विजय पिता भंवरलाल, जाति गुरू ब्राहमण, नि. गली नंबर 2,लक्ष्मी मार्केट आमेट, तह. आमेट, जिला राजसमन्द।

6/3.पंकज उर्फ प्रकाश पिता भंवरलाल, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी गली नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

6/4. सुनील पिता भंवरलाल, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी गली नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

6/5. नवीन पिता भंवरलाल, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी गली नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

6/6. आशा पुत्रो भंवरलाल पत्नी मुकेश गर्ग, निवासी सनवाड़, वार्ड नंबर 2, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

7. शीलादेवी पुत्री मोहनलाल जी, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी नगरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

9. चन्द्रप्रकाश पिता मोहनलाल जी, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी हीरापुरी मोहल्ला भीम, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

10. तुलसीदेवी पुत्री मोहनलाल जी, जाति गुरू ब्राहमण, निवासी दण्डावत, पोस्ट भामरिया खेड़ा, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा (राज.)

11. श्रीमती भगवतीदेवी पुत्री मोहनलाल पत्नी भंवरलाल (मृतका) के बजाय :–

11/1. राजेश पिता भंवरलाल जाति गुरू ब्राहमण, निवासी हुरड़ा रोड़ गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

11/2. सत्येन्द्र पिता भंवरलाल जाति गुरू ब्राहमण, निवासी हुरड़ा रोड़ गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

11/3. माया उर्फ मानवी पुत्री भंवरलाल जाति गुरू ब्राहमण, निवासी हुरड़ा रोड़ गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 26.06.2016 प्र.सं. 120/03

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट

2. श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रेस्पो०सं० 4, 5

———:::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक</u>

<u>21—05—2019</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से 11 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात ग्राम भीम में स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6, 7 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष मोहनलाल जी पुत्र श्री रामलाल थे, जिनका देहावसान सन् 1987 में हो जाने के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 6, 7 उनके उत्तराधिकारी हैं तथा संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमियां में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 जो स्वर्गीय रविप्रकाश के वारिस हैं, उनका 1/7 हिस्सा निहित हैं, किन्तु रविप्रकाश की मृत्यु होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हो गया है तथा उनके द्वारा 1/2 हिस्सा बताते हुए प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को दिनांक 20—10—2003 को रजिस्टर्ड विकय कर दिया गया है, जबकि उनका विवादित भूमियों में 1/2 हिस्सा नहीं होकर 1/7 हिस्सा है। तद्नुसार उक्त विकय अवैध व प्रभाव शून्य है। अतः वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 पत्येक को 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार विभाजन की डिक्री जारी की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 26—06—2016 को लोक अदालत में रखा जाकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा दिनांक 02—03—2007 को तनकी नंबर 1 से 7 वादीगण के विरूद्ध निर्णित हो जाने के आधार पर वादीगण का वाद

खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से वकील श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही अवलोकन नहीं किया है तथा तनकियात विरचित किये जाने के बावजूद तनकीवार विवेचन नहीं किया है। अपीलान्ट द्वारा पेश की गयी साक्ष्य के खण्डन में रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत वाद इस जायदाद से संबंधित नहीं होने से उस निर्णय के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य राजीनामा भी प्रस्तुत हुआ है, जिसके अनुसार वाद डिक्री किया जाना चाहिए था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होन से अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 4 व 5 के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–06–2016 को प्रकरण लोक अदालत में रखकर मात्र अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमन्द के निर्णय के आधार पर वाद खारिज कर दिया है, जबकि प्रकरण में दिनांक 21–03–2005 को

कुल 9 तनकियात का गठन किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निर्णय व डिक्री जाब्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधान आदेश 20 नियम 5 के विपरीत होने से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावलो अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर कायम शुदा तनकियात पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविशिट नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 <u>बनाम</u> दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.......47/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........भीम.......... मुकाम................मुवर्खे.............18...............माह..............07........
....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........13....माह........03.......सन् 2019 रूबरू........
पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये
.... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........13......माह.......03...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।